न्यायालय-सिविल जज (जू०डि०) कालपी, जिला जालौन।

मूलवाद संख्या- 188/2014

अब्दुल सत्तार बनाम साबिर।

17.02.2020

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते वाद बिन्दु विरचन हेतु नियत है। उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना गया। उभयपक्षकारों से सुलह समझौता के बावत प्रयास किया गया, परन्तु पक्षकारों ने सुलह समझौता से इनकार किया। अतः उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये जाते हैंः-

1- क्या वादी वाद पत्र में दर्शित विवादित प्लाट ए.बी.सी.डी. स्थित मोहल्ला गणेशगंज कस्बा कालपी का मालिक काबिज हैं?

2- क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है एवं प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

3- क्या दावा वादी विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 व 41 एस.आर. एक्ट से बाधित है?

4- क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. से बाधित है?

5- क्या दावा वादी में आवश्यक पक्षों के असंयोजन का दोष है?

6- क्या प्रतिवादी धारा 35 ए सी.पी.सी. के अंतर्गत हर्जा खर्चा प्राप्त करने का अधिकारी हैं?

7- क्या वादी याचित अनुतोष या किसी अन्य अनुतोष को पाने का अधिकारी है?

इसके अतिरिक्त अन्य कोई वाद बिन्दु न बनता है न बनाये जाने पर बल दिया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई/निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2 दिनांक 21.03.2020 को पेश हो।

दिनांक- 17.02.2020

सिविल जज (जू०डि०) कालपी
जनपद जालौन।